कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री अभिषेक दुपट्टा हाउस, आजाद नगर बड़ौत,जिला बागपत**

प्रा0प0सं0- 289/2008

प्रार्थी की ओर से- **श्री सुभाष जैन,अधिवक्ता व श्री अमित कुमार जैन स्वामी फर्म।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 2-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **माता की चुनरी (दुपट्टा)** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),वाणिज्य कर,मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी माता की चुनरी (दुपट्टा) का निर्माण व बिक्री का कार्य करते है। माता की चुनरी (दुपट्टा) धार्मिक प्रयोग में आती है । इस चुनरी का अन्य कोई प्रयोग माता को भेंट करने से पूर्व अथवा बाद में नहीं किया जाता है। माता की चुनरी (दुपट्टा) का निर्माण कपड़े तथा कपड़े के ऊपर सितारे,गोटा किनारी आदि टॉक कर अथवा सिलाई करके किया जाता है। ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),वाणिज्य कर द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि माता की चुनरी (दुपट्टा) टैक्सटाइल मेडप की श्रेणी के अन्तर्गत आती है अतः इस पर 4प्रतिशत की दर से कर देयता होनी चाहिए ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री सुभाष जैन,अधिवक्ता व श्री अमित कुमार जैन स्वामी फर्म उपस्थित हुयें व धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या, विद्वान अधिवक्ता / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया। सर्वश्री मेफेयर इण्टर प्राइजेज,जी-23 न्यू मुमताज मार्केट,रामकृष्ण पार्क, लखनऊ (प्रार्थना पत्र संख्या-74/08)के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 24-2-08 में टैक्सटाइल मेडप की विस्तृत परिभाषा दी गयी है। टैक्सटाइल से जिन वस्तुओं के बनाने में किसी प्रकार की कोई सिलाई नहीं की गयी हो ,उन्हें टैक्सटाइल मेडप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माता की चुनरी (दुपट्टा) के सैम्पुल को देखने से स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण कपड़े तथा कपड़े के ऊपर सितारे,गोटा किनारी आदि टॉक कर अथवा सिलाई करके किया जाता है। अतः यह टैक्सटाइल मेडप की श्रेणी में आता है। वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-क के क्रमांक16 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

" ***Bed sheet, pillow cover & other textile made ups excluding those made on handloom.***"अतः उक्त प्रविष्टि के अधीन माता की चुनरी (दुपट्टा) पर 4प्रतिशत की दर से कर देयता है।

क्रमशः 2 पर

सर्वश्री अभिषेक दुपट्टा हाउस, आजाद नगर बड़ौत,जिला बागपत /
प्रा0प0सं0- 289/2008

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारिक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 11,अगस्त ,2008

ह0 11.8.08
(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
वाणिज्य कर न्यायालय लखनऊ